

# एलआईसी हाउसिंग को 3,000 करोड़ रु. के एनपीए की वसूली की उम्मीद

**अभिजित लेले**  
मुंबई, 21 जून

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्ज लेने वालों से करीब 3,000 करोड़ रुपये वसूली की उम्मीद कर रहा है, जिससे उसकी संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हो सके। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य कठिन नजर आता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा समर्थित हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चूक करने वाले कर्जदारों, डेवलपर्स व व्यक्तिगत उधारी लेने वालों का फॉलो अप जारी रकेगी, जिससे दबाव वाली संपत्तियों की वसूली हो सके।

कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी सिद्धार्थ मोहंती ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि जीएनपीए का करीब 50 प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2020 में एलआईसी

एचएफसी का सकल गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) मार्च 2019 के 1.54 प्रतिशत से बढ़कर 2.86 प्रतिशत होने के बाद से उसकी संपत्ति गुणवत्ता प्रोफाइल पर दबाव बढ़ गया है। शुद्ध एनपीए भी 1.99 प्रतिशत हो गया है, जो 1.08 प्रतिशत था। इसका कुल बकाया पोर्टफोलियो मार्च 2020 में 2,10,578 करोड़ रुपये रहा, जो 31 मार्च 2019 के 1,94,656 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

एलआईसी-एचएफसी का संभावित कर्ज नुकसान (ईसीएल) के लिए प्रावधान 31 मार्च 2020 को 2,612.39 करोड़ रुपये रहा, जो 31 मार्च 2019 को 1,659.48 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि संपत्ति की गुणवत्ता पर आगे और दबाव बढ़ सकता है क्योंकि कर्ज की किस्त टालने की वजह से चूक बढ़ सकती है। इस समय कर्ज का करीब 25 प्रतिशत मॉरेटोरियम के तहत है। रिजर्व बैंक ने एचएफसी, वित्तीय कंपनियों व

बैंकों को कर्ज की किस्त अगस्त 2020 तक टालने की छूट दी है, जिससे कि कोविड-19 के बुरे प्रभावों से लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।

संभावित ऋण नुकसान (ईसीएल) की गणना करते समय कंपनी ने नुकसान का ऐतिहासिक अनुभव लिया है और मौजूदा स्थितियों व कर्ज टालने के असर को शामिल किया है। बहरहाल कंपनी ने यह उल्लेख नहीं किया है कि कोविड-19 के कारण किए गए प्रावधान का कितना असर होगा।

कारोबार पर नए सिरे से काम करने की दिशा में कदम उठाते हुए कंपनी परिचालन मॉडल में बदलाव करेगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष मार्केट एग्जिक्यूटिव (डीएमई) से सौर्सिंग 2020-21 में 10 प्रतिशत किया जाएगा, जो 2019-20 में 4.96 प्रतिशत था। इसमें 1000 डीएमई लगेगे, जो वित्त वर्ष 21 के कारोबारी विकास के लिए काम करेंगे। इस समय 800 डीएमई हैं, जो कारोबार से जुड़ा कर्मोशन और हर महीने भत्ता पाते हैं।

# तेल व गैस की खपत बढ़ी, उत्पादन गिरा

**शाहुन जैकब**  
नई दिल्ली, 21 जून

देश में पिछले एक दशक में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खपत क्रमशः 60 फीसदी और 22 फीसदी बढ़ने के बावजूद इनके उत्पादन में गिरावट आई। यह जानकारी बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू में सामने आई है। हाल में जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में वैश्विक ऊर्जा बाजार की वृद्धि में कमी आई जो कि कमजोर आर्थिक वृद्धि के अनुरूप है।

देश में तेल का भंडार 1999 के 500 करोड़ बैरल से घटकर 2019 में 470 करोड़ बैरल रह गया। देश में तेल का उत्पादन भी 2009 के 8,38,000 बैरल प्रतिदिन से घटकर 2019 में 8,26,000 बैरल प्रतिदिन रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि सालाना तेल उत्पादन भी

## एक दशक की स्थिति पर बीपी की रिपोर्ट



■ कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस की खपत भारत में पिछले 1 दशक में क्रमशः 60 प्रतिशत और 22 प्रतिशत बढ़ी

■ देश में तेल का उत्पादन 2009 के 8,38,000 बैरल से घटकर 2019 में 8,26,000 बैरल प्रतिदिन रह गया

2009 के 3.8 करोड़ टन से घटकर 2019 में 3.75 करोड़ टन रहा। यह स्थिति 2013 में 4.25 करोड़ टन का सर्वकालिक उच्च उत्पादन रहने के बावजूद है।

दिलचस्प है कि, इसी दौरान तेल खपत 2009 के 32.9 लाख बैरल प्रतिदिन से 60 फीसदी बढ़कर 2019 में 52.7 लाख बैरल

प्रतिदिन हो गई। विभिन्न उत्पादों से अधिकोश वृद्धि मोथेन और एलपीजी की खपत में हुई। इनकी खपत 2009 के 4,70,000 बैरल प्रति दिन से 118 फीसदी बढ़कर 2019 में 10.2 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई। प्राकृतिक गैस के लिए भंडार 1999 के 0.6 लाख करोड़

## बीएस सूजोकू 3773 परिणाम संख्या 3772

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 5 | 4 |
|   | 8 |   | 9 |
| 4 |   | 2 |   |
| 1 | 3 |   |   |
| 9 | 1 | 8 | 5 |
|   |   | 6 | 2 |
|   | 1 |   | 7 |
|   |   |   | 3 |
| 5 |   | 7 | 6 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 |
| 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 |
| 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 |
| 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 |
| 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 |

**कैसे खेलें? बहुत मुश्किल**

हर, रो, कॉलम और 3 के बाईं 3 के बाईंस में एक से लेकर जौ तक की संख्या भरें।

**ASHIANA ISPAT LIMITED**  
CIN: L27107RJ1902PLC006611  
Regd. Office: A-1116, PHASE-III, RICO INDUSTRIAL AREA, DIST-ALWAR (RAJASTHAN), BHUWADI-301 019  
E-mail:- ashianagroup@yahoo.co.in Website: www.ashianaispat.in

**NOTICE**

Notice is hereby given, in terms of Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at Corporate office 908-910, Pearls Best Heights-II, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034 on Tuesday, June 30, 2020 to consider and approve, inter alia the Audited Financial Statements and the Audited standalone financial results for the quarter and year ended March 31, 2020. Details will be available on the above-mentioned website of the Company and on the websites of BSE Limited (i.e. www.bseindia.com).

By Order of the Board  
For Ashiana Ispat Limited  
Sd/-  
(Naresh Chand)  
Chairman  
DIN-00004500

Place: Bhiwadi  
Date: 20.06.2020

**ROTO PUMPS LTD.**  
CIN: L28991UP1975PLC004152  
Regd. Off.: Roto House, Noida Special Economic Zone, Noida - 201305  
Tel.: +91 120 2567902-05 Fax +91 120 2567911  
Email: investors@rotopumps.com Website: www.rotopumps.com

**NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, the 27th June, 2020 at 6-A, 3rd Avenue, Bandh Road, Near Chandan Haula Village, Mehrauli, New Delhi - 110074 inter-alia to consider, approve and take on record the Standalone and Consolidated audited financial results of the Company for the fourth quarter and the financial year ended 31st March, 2020 and to consider recommendation of dividend, if any. The information contained in this notice is also available on the website of the Company www.rotopumps.com and also on the website of BSE Ltd. www.bseindia.com.

For **ROTO PUMPS LTD.**  
Sd/-  
ASHWANI K. VERMA  
COMPANY SECRETARY

Place: Noida  
Date: 20.06.2020

**PUBLIC NOTICE**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अखिल मोटर लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय - नौती मंडिर, कनका रोड/कॉम्प, ३, पिंप्ले लिट्टी रोड, इकन, मुंबई-४०००११-११००११ के शेयर रजिस्ट्रार वरिष्ठ 17581, 90041 और 90043 (100 प्रतिशत शेयर) प्रत्येक दस रुपये नाम के लिए। डिजिटल डिजिटल संख्या: 1758201-300 (100 शेयर) / 18777384-18777383 (100 शेयर) जो बीनोती कलिया गुलानी के नाम से रजिस्टर्ड है उसे गग ही बीनोती कलिया गुलानी ने अपनी शेयरों को एनएसई लिमिटेड को बेचने के लिए अग्रिम किया हुआ है। कोई व्यक्ति जिसे उपरोक्त लिखित लिखित के बारे में कोई भी जानकारी है इस पब्लिक नोटिस के प्रकाशन के चंद्र दिन के अंदर कंपनी से इस सम्बन्ध में सिकावत कर सकते हैं।

**ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड**  
नि.प.सं.एल 29222 डीएल 1976 पीएलसी 008129  
पंजीकृत कार्यालय - कोर-2, पहली मंजिल, 'स्वयं मीनार', प्लॉट नं.2ए व 2बी, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110 091, प्रधान कार्यालय - एच.बी.कोली, सीएमएचए, विशाखपट्टनम-530 022, ई-मेल: sreekanth@dcl.co.in, दूरभाष: 0891-2523250, फ़ैक्स: 0891-2560581, वेबसाइट: www.dredge-india.com

**सार्वजनिक सूचना**

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इंफ़िटी शेयर्स को सूची से हटा देना) विनियम, 2009 के खण्ड वाक्य 6(ए) के अनुसारण में यह कम्पनी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (सीएसई) से अपने इंफ़िटी शेयर्स को स्वीकृत रूप से सूची से हटा देने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में है। सूची से हटा देने की आवश्यकता और उद्देश्य: सूची के उपरोक्त स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ कम्पनी के इंफ़िटी शेयर्स का वाणिज्य या तो नगण्य है या शून्य है, उसको देय सूचीकरण शुरू के चालू व्यय की वसत करना। सूची इस कम्पनी के इंफ़िटी शेयर्स का सूचीकरण, शेयर बाजार, मुम्बई (बीएसई) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) में जारी है, जो कि राष्ट्रव्यापी वाणिज्यिक केंद्र है, सीएसई से इंफ़िटी शेयर्स को हटा देने का कोई प्रतिकूल प्रभाव निवेशकों पर नहीं होगा। इस कम्पनी के इंफ़िटी शेयर्स का सूचीकरण शेयर बाजार, मुम्बई (बीएसई) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) में लगातार जारी रहेगा।

स्थान: विशाखपट्टनम  
दिनांक: 22-06-2020 कृते ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (के.अश्विनी श्रीकांत)  
समुद्री मार्गों के निर्माण के लिए डीसीआईएल कम्पनी सचिव

**SHIVAM AUTOTECH LTD**  
शिवम ऑटोटेक लिमिटेड  
सीआईएन: L34300HR2005PLC081531

पंजीकृत कार्यालय: 10, पहली मंजिल, टॉवर-ए, एमएर डिजिटल ग्रीन, सेक्टर-61, गोलक कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम, हरियाणा - 122102  
टेलीफोन: 0124-4698700; फ़ैक्स: 0124-4698798  
ई-मेल: info@shivamautotech.com; वेबसाइट: www.shivamautotech.com

**सूचना**

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 47 के साथ पठित नियमावली 29 एवं 33 एवं सेबी सर्कुलर SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/38 दिनांकित 19 मार्च 2020 के अनुपालन में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक **शुक्रवार, 26 जून, 2020** को आयोजित की जाएगी जिसमें, अन्य व्यवसायिक विषयों के साथ ही, कम्पनी के 31 मार्च, 2020 को समाप्त अंतिम तिमाही एवं वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन एवं अभिलेख में प्राप्त किया जाएगा। सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.shivamautotech.com](http://www.shivamautotech.com) एवं बीएसई लिमिटेड ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

बॉर्ड के आदेश से कृते शिवम ऑटोटेक लिमिटेड हस्ता./-  
रमता बजाज कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या 50269)

दिनांक: 20 जून 2020  
स्थान: गुरुग्राम

**एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड**  
सीआईएन: L55101DL2007PLC157518

पंजीकृत कार्यालय: 6वीं मंजिल, आरिया टावर, जे डब्ल्यू मैरियट, नई दिल्ली एरोसिटी, एसेट एरिया 4, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, आईजीआई एक्सप्रेस के नजदीक, नई दिल्ली-110037, टेलीफोन: +91-011-41597315  
ई-मेल: vivek.jain@asianhotelswest.com  
वेबसाइट: www.asianhotelswest.com

**सूचना**

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (लिसिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 47 के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 30 जून 2020 को, अन्य बातों के अतिरिक्त, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों (एकल के साथ ही समेतित आधार पर) विचार एवं अनुमोदन तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु लाभा (यदि कोई हो) की अनुशांसा हेतु आयोजित की जाएगी। सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.asianhotelswest.com](http://www.asianhotelswest.com) एवं बीएसई लिमिटेड ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड के लिए हस्ता./-  
विवेक जैन कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 20 जून, 2020

# मॉल के दुकानदारों को मिलेगी राहत

**राधेवेंद्र कामत, विवेक सुजन पिंटो और समरीन अहमद**  
मुंबई/बंगलूर, 21 जून

**इनऑर्बिट**, फोनिस और ब्रिगेड जैसे भारत के प्रमुख मॉल डेवलपर किराये के समझौते को लेकर खुदरा कारोबारियों के साथ नए सिरे से काम कर रहे हैं, जिससे मतभेद सुलझाए जा सकें। ज्यादातर शहरों में मॉल खोलने के सरकार के फैसले को देखते हुए यह कवायद की जा रही है।

इन फर्मों के अधिकारियों ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहा कि मॉल दुकानदारों के लिए 3 महीने का किराया टालने को लेकर काम दे रहा है। श्रीवास्तव ने कहा, 'हम अपने किरायेदारों के साथ अलग अलग बात कर रहे हैं। हम पूरी तरह से माफी की राह नहीं अपना रहे हैं। लेकिन हम इस पर ध्यान दे रहे हैं कि किरायेदारों का क्या कहना है और आपस में सहमत वाला विकल्प तलाश रहे हैं।'

इनऑर्बिट मॉल्स के मुख्य कार्याधिकारी रजनीश महाजन ने कहा कि कंपनी अप्रैल से अगस्त तक किरायेदारों को किराये में 50 प्रतिशत की छूट दे रही है। बंगलूर में ऑरियन मॉल की मालिक ब्रिगेड ग्रुप के विपणन प्रमुख राहुल मल्होत्रा ने कहा कि कंपनी लॉकडाउन के महीनों के दौरान किराये में 50 प्रतिशत छूट देने को सहमत हुई है।

बड़े कारोबारियों जैसे उत्तर भारत में डीएलएफ और दक्षिण के प्रेस्टिज समूह ने लॉकडाउन अवधि के दौरान नियत किराया यह कहते हुए माफ कर दिया कि खुदरा कारोबारी हमारे साझेदार हैं और उनको लेकर कंपनी को पूरी सहानुभूति है। डीएलएफ लिमिटेड ने पिछले सप्ताह एक पत्र में कहा था, 'हम सभी लोग राहस्व न आने के संकट से जूझ रहे हैं, जबकि जाबजी शेयरधारकों की वित्तीय देनदारी बनी हुई है। हमने अपने किरायेदार साझेदारों से किराये को लेकर काम किया है।' वहीं प्रेस्टिज ने कहा है कि किराया माफी कुछ शर्तों को पूरा करने पर की जाएगी।

**परिशिष्ट IV**  
देखें नियम 8(1)  
कन्या सूचना  
(अवल संपत्ति हेतु)

जब कि,  
इंडियावल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोस्वाक्षरी ने सिक्कोरिटाइजेशन एंड रिस्कन्शुशन ऑफ फायनान्सियल असेट्स एंड एफोर्मेसिड ऑफ सिक्कोरिटी इंस्ट्रेंट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्कोरिटी इंस्ट्रेंट (एफोर्मेसिड) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके अधिकारों का कार्यान्वयन करने की 11.02.2020 को सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLVAS00376384 को राशि रु.18,37,469 /- (रुए अठारह लाख सैंतीस हजार चार सौ उनहतर मात्र) और 06.02.2020 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाना सूचना जारी की थी। धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोस्वाक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्कोरिटी इंस्ट्रेंट (एफोर्मेसिड) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 18.06.2020 को संपत्ति पर सैंकेतिक अधिपत्य कर लिया है। विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु.18,37,469 /- (रुए अठारह लाख सैंतीस हजार चार सौ उनहतर मात्र) 06.02.2020 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियावल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सुनिट नं टीएफ- 1 वीसरी मंजिल पर, सामने दाहिने बंध की ओर, और माफित लगभग 60 स्के. मी., प्लॉट नं.डी-416 पर स्थित, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, गाज़ियाबाद-201102, रुफ राइट्स के साथ, परिचय है।

पू: कैंडम पैसेज और प्लैट नं.टीएफ-3 प: 24 मी.रोड (तल मंजिल पर)  
उ: प्लैट नं. टी.एफ-2 द: प्लैट नं.डी - 415

दिनांक :18.06.2020 सही/-  
स्थान :गाज़ियाबाद प्राधिकृत अधिकारी

इंडियावल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

**परिशिष्ट IV**  
देखें नियम 8(1)  
कन्या सूचना  
(अवल संपत्ति हेतु)

जब कि,  
इंडियावल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोस्वाक्षरी ने सिक्कोरिटाइजेशन एंड रिस्कन्शुशन ऑफ फायनान्सियल असेट्स एंड एफोर्मेसिड ऑफ सिक्कोरिटी इंस्ट्रेंट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्कोरिटी इंस्ट्रेंट (एफोर्मेसिड) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके अधिकारों का कार्यान्वयन करके 18.06.2020 को संपत्ति पर सैंकेतिक अधिपत्य कर लिया है। विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु.27,45,015/- (रुए सत्ताईस लाख पैतालीस हजार पंद्रह मात्र) 23.12.2019 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियावल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लैट नं.एच -जी05 जिसका लगभग सुपर एरिया 116.17 स्के. मी. (1250 स्के.फीट) तल मंजिल पर, ब्लॉक -एच में, केडीपी ग्रान्ड सवाना से पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट में, राज नगर एक्सटेंशन में स्थित, गाज़ियाबाद-201010, उत्तर प्रदेश कार पार्किंग जगह के साथ

दिनांक :18.06.2020 सही/-  
स्थान :गाज़ियाबाद प्राधिकृत अधिकारी

इंडियावल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगम) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसारण में] कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन

सम्भ: केन्द्र सरकार  
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगम) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के कर्ताव (क) के विषय में

तथा

डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-5/30, बेसमेंट, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पीछे, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063, भारत में स्थित है

याधिकादाता

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय 'रा.रा.क्ष. दिल्ली' से 'महाराष्ट्र राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सभ्य बनाने के संबंध में 15 जून, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के सम्मक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शायथयव द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक को क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र का कार्यालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीन दयाल उपाध्याय अंतोदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के भीतर सुपुर्द करना सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदन कम्पनी को नीचे लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए:

पंजीकृत कार्यालय - डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ए-5/30, बेसमेंट, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पीछे, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063, सीआईएन-यू52100डीएल2013एफडीसी261978

कृते एवं हिते आवेदन हस्ता./-  
बसवारासद मल्लप्पा हुलगावली निदेशक

तिथि : 22-06-2020  
स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 06943733